This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2025 / 19 मार्गशीर्ष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 19th November, 2025

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

declare Civil Judge-*cum*-JMFC-II, Una, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Una, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Vishal Kaundal, Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Una *w.e.f.* 21-11-2025 to 26-11-2025.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 22nd November, 2025

No. HHC/GAZ/14-226/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 02 days commuted leave for 09-10-2025 and 10-10-2025 with permission to suffix 2nd Saturday and Sunday falling on 11-10-2025 and 12-10-2025, respectively in favour of Sh. Rajesh Tomar, Chairman-*cum*-Member, H.P. Transport Appellate Tribunal, Hamirpur.

Certified that Sh. Rajesh Tomar had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above period of leave.

Certified that Sh. Rajesh Tomar would continue to hold the post of Chairman-*cum*-Member, H.P. Transport Appellate Tribunal, Hamirpur, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2025

No. HHC/Estt.3(614)/2008.—06 days earned leave on and with effect from 01-12-2025 to 06-12-2025, with permission to affix Sundays falling on 30-11-2025 and 07-12-2025, is hereby sanctioned, in favour of Shri Rajeev Kumar Verma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Rajeev Kumar Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajeev Kumar Verma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 22nd November, 2025

No. HHC/GAZ/14-307/09-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased so grant *ex-post facto* sanction of 17 days earned leave *w.e.f.* 13-10-2025 to 29-10-2025 with permission to prefix 11-10-2025 and 12-10-2025 being 2nd Saturday and Sunday in favour of Smt. Kanika Chawla Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POCSO). Solan.

Certified that Smt. Kanika Chawla had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanika Chawla would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POCSO) Solan, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 21st November, 2025

No. HHC/GAZ/14-418/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 24-11-2025 to 29-11-2025 with permission to prefix and suffix Sundays falling on 23-11-2025 and 30-11-2025, respectively in favour of Sh. Karan Singh Pratap, Civil Judge-*cum*-JMFC, Banjar.

Certified that Sh. Karan Singh Pratap is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Karan Singh Pratap would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Banjar but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 21st November, 2025

No. HHC/GAZ/14-363/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 24-11-2025 to 28-11-2025 with permission to prefix 23-11-2025 being Sunday, in favour of Sh. R. Mihul Sharma, Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM (II), Solan, H.P.

Certified that Sh. R. Mihul Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. R. Mihul Sharma would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM(II), Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2025

No. HHC/Admn.16 (20)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Sh. Munish Kumar Bhardwaj (HIM/735/2022), Sh. Nitesh Kumar (HIM/128/2022), Ms. Jyoti Devi (HIM/540/2022) and Sh. Akshay Kumar (HIM/689/2022), Advocates as Oath Commissioners at Sub-Division Ghumarwin**,** Distt. Bilaspur for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2025

No. HHC/Admn.16(20)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Arpita (HIM/472/2024) and Sh. Raman Thakur (HIM/654/2023), Advocates as Oath Commissioners District Headquarters, Bilaspur, H.P. for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice ,

Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 22nd November, 2025

No. HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days commuted leave for 13-10-2025 and 14-10-2025 in favour of Ms. Deepali Gambhir, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur.

Certified that Ms. Deepali Gambhir had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepali Gambhir would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2025

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Rampur Bushahr as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Kinnaur at Reckong Peo and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Vishal Bhamnotra, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Kinnaur at Reckong Peo *w.e.f.* 22-11-2025 to 29-11-2025 with permission to suffix Sunday falling on 30-11-2025 or till he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 21st November, 2025

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIV.—The result of 78th Departmental Examination of the Civil Judges (Members of the Himachal Pradesh Judicial Service) held in August, 2024 is hereby published for information of all concerned as required under Regulation 17(xi) of the Himachal Pradesh Judicial Service (Departmental Examination) Regulations, 2004.

By order,

Sd/-
Registrar General.

RESULT OF 78TH DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR THE CIVIL JUDGE, HELD IN THE MONTH OF AUGUST 2024

'WITH CREDIT (WC)' means passed by obtaining 3/4th of the maximum marks;

'HIGHER STANDARD(HS)' means passed by obtaining 2/3rd of the maximum marks;

'LOW STANDARD(LS)' means passed in the lower standard by obtaining 50% marks**.**

Candidates are required to pass each group by Higher Standard (HS). However, 5% grace marks in any one or more papers can be granted in deserving and suitable case

Sl. No.	Name of the Judicial Officer	Roll No.	12-08-2024	12-08-2024	13-8-2024			14-08-2024	14-8-2024
			Group A-I Criminal Law (120 marks)	**Group A-II Civil Law (120 marks)**	**Group B Revenue Law(1st Paper) (120 marks)**	**Group B Revenue Law(2nd Paper) (120 marks)**	**Revenue Law, Paper-I+Paper-II Total 240 marks**	**Group-C Accounts (160 marks)**	**Group-E Constitution Law (100 marks)**
			HS=80 marks WC=90 marks	HS=80 marks WC=90 marks	-----	----	HS=160 marks WC=180marks	HS=106.67 marks WC=120 marks	HS=66.67 marks WC=75marks
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	**Ms. Priya Dogra**	301	**68(LS)**	**72.5(LS)**	---	--	---	---	---
2.	**Sh. Shashi Kant**	302	**50(Fail)**	80.5(HS)	---	--	---	112(HS)	---
3.	**Ms. Jyoti Bhagchandani**	303	**71(LS)**	89(HS)	102	83	185(WC)	122(HS)	78(WC)
4.	**Ms. Paras Ahuja**	304	89(HS)	88(HS)	103	81.5	184.5(WC)	114(HS)	73.5(HS)
5.	**Ms. Sushmita Sharma**	305	88(HS)	90.5(WC)	104	81	185(WC)	111(HS)	81(WC)
6.	**Sh. Vikash Thakur**	306	87(HS)	87.5(HS)	100	81	181(WC)	112(HS)	81(WC)
7.	**Sh. Apurva Raj**	307	86(HS)	82.5(HS)	96	72	168(HS)	108(HS)	**60.5(LS)**
8.	**Ms. Himani**	308	91(HS)	86.5(HS)	99	84	183(WC)	108(HS)	73.5(HS)
9.	**Sh. Raghav**	309	82(HS)	86(HS)	98	84	182(WC)	110(HS)	72.5(HS)

	Sharma								
10.	**Ms. Ridhi Patrwal**	310	**76(LS)** 82(HS) with 5% grace marks	88(HS)	99	78	177(HS)	108(HS)	75(WC)

Sd/-
(BHUPESH SHARMA),
Registrar General.

In the Court of Rajender Kumar Gautam, HPAS, Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.).**

In the matter of :

1. Sh. Rohit Kumar s/o Sh. Banku Ram, r/o Village Suglani, P.O. Dhangota, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Alka Sharma d/o Sh. Raj Kumar Sharma, r/o Village & P.O. Maharal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Rohit Kumar and Alka Sharma have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they solemnized their marriage on 29-10-2025 as per Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 19-12-2025. In case no objection is received by 19-12-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-11-2025.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

In the Court of Rajender Kumar Gautam, HPAS, Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.).**

In the matter of :

1. Sh. Shubham Kumar s/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Badloi, P.O. Kohdra, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Nisha Kumari d/o Sh. Karan Chand, r/o Village Gharyana, P.O. Sunni, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Shubham Kumar and Nisha Kumari have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they solemnized their marriage on 08-10-2025 as per Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 19-12-2025. In case no objection is received by 19-12-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-11-2025.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

———————

In the Court of Rajender Kumar Gautam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the matter of :

1. Sh. Virender Singh s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village & P.O. Dandwin, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Tamanna d/o Sh. Rajeev Kumar, r/o Village & P.O. Sohari, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of intended Marriage.

Sh. Virender Singh and Ms. Tamanna have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calender months.

Therefore, the general publice is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 23-12-2025. In case no objection is received by 23-12-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-11-2025.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

———————

In the Court of Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Rahul s/o Sh. Puran Chand, r/o Village & P.O. Kathiana, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Rakhi d/o Sh. Dil Bahadur, r/o Village & P.O. Maral Patti, Yamkeshwar, Distt. Pouri Garhwal (Uttrakhand) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Rahul and Ms. Rakhi have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 24-09-2025 as per Hindu rites and customs at their native place Village Kathiana, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.).

Therefore, the general publice is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 19-12-2025. In case no objection is received by 19-12-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-11-2025.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

———————

In the Court of Rajender Kumar Gautam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the matter of :

1. Sh. Lakesh s/o Sh. Kartar Chand, r/o Village Ghangot Kalan, P.O. Ghangot, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Anchal Dhiman d/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Makkar, P.O. Karer, Mouza Pahlu, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Lakesh and Ms. Anchal Dhiman have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calender months.

Therefore, the general publice is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 31-12-2025. In case no objection is received by 31-12-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-11-2025.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

———————

In the Court of Swati Dogra, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the matter of :

1. Sh. Vivek Sharma s/o Sh. Purshottam Dutt Sharma, r/o Village Loharwin Upperli, P.O. Tipper, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Kristina Martynenko d/o Sh. Sergey Yuryevich, r/o Apartment No. 685, Street-Kiyevskaya D. 3 LIT. A, APT. 685, District Moskovskiy, State-Saint Petersburg, Country-Russia.
.. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Vivek Sharma and Ms. Kristina Martynenko have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 15-07-2025. Therefore, the general Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 15-01-2026. In case no objection is received by 15-01-2026, it will be presumed that there is

no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 01-12-2025.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM*,
Sub-Division Barsar (H.P.).

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार, इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 69 / तह / 2025 तारीख दायरा : 22–11–2025

वीर सिंह पुत्र रूप लाल उपनाम तानी राम, निवासी गांव राजगीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी / नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी वीर सिंह पुत्र रूप लाल उपनाम तानी राम, निवासी गांव राजगीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम अन्य अभिलेखों में ''रूप सिंह उपनाम तानी राम'' दर्ज है, जोकि सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल राजगीर में प्रार्थी के पिता का नाम रूप सिंह दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके अपने पिता के नाम की दुरुस्ती ''रूप सिंह'' उपनाम बजाये ''रूप सिंह उपनाम तानी राम'' राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26–12–2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार, इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 62 / तह / 2025 तारीख दायरा : 11–12–2023

श्री बलदेव राम पुत्र बुगड़ राम, निवासी गांव सावाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी / नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री बलदेव राम पुत्र बुगड़ राम, निवासी गांव सावाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में ''बलदेव राम'' दर्ज है, जोकि सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल मलोट में उसका नाम ''कुलदीप'' अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसने अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23–12–2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार, इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 60 / तह / 2025 तारीख दायरा : 31–01–2024

श्री चरनजीत कुमार उपनाम चरणजीत उपनाम अजीत कुमार पुत्र सदानन्द, गांव मण्ड सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी / नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री चरनजीत कुमार उपनाम चरणजीत उपनाम अजीत कुमार पुत्र सदानन्द, गांव मण्ड़ सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में ''चरणजीत उपनाम अजीत कुमार शर्मा'' दर्ज है, जोकि सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल सनौर में उसका नाम ''चरनजीत कुमार'' अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसने अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के सबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23–12–2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार, इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 56 / तह / 2025 तारीख दायरा : 28–01–2025

अनिल कुमार उर्फ लक्ष्मण दास, निवासी गांव मलाहड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी / नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी अनिल कुमार उर्फ लक्ष्मण दास, निवासी गांव मलाहड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में ''लक्ष्मण दास'' दर्ज है, जोकि सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल मलाहड़ी में उसका नाम ''अनिल कुमार'' अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसने अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23–12–2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 48 / तह / 2025 तारीख दायरा : 30–10–2025

श्री जीत राज पुत्र सरदारी लाल, निवासी गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी / नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री जीत राज पुत्र सरदारी लाल, निवासी गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में ''जीत राज'' दर्ज है, जोकि सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल मोहटली में उसका नाम जीत राम दर्ज है, जोकि त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है। इस कारण प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28–12–2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

In the court of Kartar Chand, Marriage officer-cum**- Sub-Divisional Magistrate Shahpur, District Kangra (H.P.)**

1. Sh. Dhruvesh Kant s/o Vinod Kumar Dogra, r/o Village Kuther, P.O. Dhanotu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Poonam Sharma d/o Vijay Kumar, r/o House No. 242, Ward No. 12, Galli No. 4, New Arun Nagar, Sujanpur (Gramin), P.O. Sujanpur, Distt. Pathankot, Punjab. . . *Applicants.*

Versus

1. General Public
2. Local Registrar, Gram Panchayat Ladwara . . *Respondents.*

Subject.—Application for the Marriage registration u/s 8 of Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Dhruvesh Kant s/o Vinod Kumar Dogra, r/o Village Kuther, P.O. Dhanotu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Poonam Sharma d/o Vijay Kumar, r/o House No. 242, Ward No. 12, Galli No. 4, New Arun Nagar, Sujanpur (Gramin), P.O. Sujanpur, Distt. Pathankot, Punjab has filed an application u/s 8 of Registration of Marriages Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 28-04-2019 at House No. 242, Ward No. 12, Galli No. 4, New Arun Nagar, Sujanpur (Gramin), P.O. Sujanpur, Distt. Pathankot, Punjab as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-12-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-
(KARTAR CHAND),
Marriage officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी / तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 11 / 2025 तारीख पेशी : 17–12–2025

उनवान मुकद्दमा :

पवना देवी पुत्री रत्न चन्द, गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ..वादिया।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त वादिया पवना देवी पुत्री रत्न चन्द, गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 11–05–1977 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। वादिया के माता–पिता वादिया का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव बड़ा भंगाल को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया का उपरोक्त नाम एवं जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के अभिलेख में पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–12–2025 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी / तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 12 / 2025 तारीख पेशी : 17–12–2025

उनवान मुकद्दमा :

कौशल्या देवी पत्नी दलपत, गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
. वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त वादिया कौशल्या देवी पत्नी दलपत, गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना की है कि उसकी माता श्रीमती भिच्छी देवी की मृत्यु दिनांक 26–08–2002 को गांव व डाकघर बड़ाग्रॉ, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुई है। वादिया की माता श्रीमती भिच्छी देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव बड़ाग्रॉ को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया की माता श्रीमती भिच्छी देवी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत बड़ाग्रॉ के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–12–2025 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी / तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 13 / 2025 तारीख पेशी : 02–01–2025

उनवान मुकद्दमा :

कौशल्या देवी पुत्री रघू नाथ, पैतृक गांव कोहड़खास, डाकघर कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हाल निवासी गांव नलहोता, डाकघर कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ..वादिया।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया कौशल्या देवी पुत्री रघू नाथ, पैतृक गांव कोहड़खास, डाकघर कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1969 को गांव कोहड़खास, डाकघर कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसका जन्म पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बड़ाग्राँ के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 02–01–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Mr. Sachin Manhas s/o Sh. Milap Singh Manhas, r/o V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Vs.

1. The General Public.

2. The Commissioner-*cum*-Registrar Births and Deaths, MCD Dharamshala/Secretary, G.P. Chetru, Tehsil Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr. Sachin Manhas s/o Sh. Milap Singh Manhas, r/o V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Sachin Manhas s/o Sh. Milap Singh Manhas का जन्म / मृत्यु दिनांक 14–07–1978 को हुआ है। परन्तु एम0सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 29–12–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Mr. Parsad Thapa s/o Late Shri Birender Singh Thapa, r/o V.P.O. Totarai, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Births and Deaths, MCD Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr. Parsad Thapa s/o Late Shri Birender Singh Thapa, r/o V.P.O. Totarai, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Parsad Thapa s/o Late Shri Birender Singh का जन्म / मृत्यु दिनांक 25–05–1988 को हुआ है। परन्तु एम0सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 22–12–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

श्रीमती Sheela Devi d/o Subhkaran, r/o Village Andrar, P.O. Tang-Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Births and Deaths, MCD, Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती Sheela Devi d/o Subhkaran, r/o Village Andrar, P.O. Tang-Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Sheela Devi d/o Subhkaran का जन्म / मृत्यु दिनांक 16–11–1977 को हुआ है। परन्तु एम0सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16–12–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख

श्री चंद्रेशवर सिंह पुत्र स्व0 श्री फूला सिंह, निवासी महाल रूहड़ू, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री चंद्रेशवर सिंह पुत्र स्व0 श्री फूला सिंह, निवासी महाल रूहड़ू, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा नाम चंद्रेशवर सिंह पुत्र स्व0 श्री फूला सिंह है और चन्द्रेशखर और चंद्रेशवर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अतः आम जनता एवं संबंधित व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त दुरुस्ती किये जाने बारे कोई एतराज है तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27–12–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 26–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यालय दण्डाधिकारी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11 / 2025 तारीख पेशी : 09–01–2026

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती जुध्या देवी पुत्री श्री मोती राम, वासी गांव गंडेरा, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी।

श्रीमती जुध्या देवी पुत्री श्री मोती राम, वासी गांव गंडेरा, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुय आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 28–02–1946 को गांव गंडेरा, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया हे अतः प्रार्थिया इस न्यायलय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पचांयत वैरघाट को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 28–02–1946 के पंजीकरण बारे

कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती जुध्या देवी पुत्री श्री मोती राम, वासी गांव गंडेरा, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश उप–स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत बैरघाट को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
48 / RNT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	12–12–2025

रोशनी देवी पुत्री शिवु, गांव व डाकघर वेही पठियार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया रोशनी देवी ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार, जन्म व मृत्यु, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 25–08–1952 दर्शाई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत वेही पठियार में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रोशनी देवी पुत्री शिवु, गांव व डाकघर वेही पठियार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वेही पठियार में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12–12–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
50 / RNTK	नाम दुरुस्ती	12–12–2025

नीशा देवी पुत्री कशमीरो, निवासी महाल सठीन, डाकघर वेही पठियार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया नीशा देवी ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल सठीन में नरेश कुमारी पुत्री कशमीरो दर्ज है, जबकि तमाम रिकार्ड में नीशा देवी पुत्री कशमीरो दर्ज है। इस बारे प्रार्थिया ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2024–25 महाल सठीन, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति परिवार नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम नरेश कुमारी उर्फ नीशा देवी पुत्री कशमीरो किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 12–12–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
51 / RNTK	नाम दुरुस्ती	12–12–2025

देश राज पुत्र भगत राम, निवासी महाल अनूही, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी देश राज ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल अनुही में देस राज पुत्र भगत राम दर्ज है, जबकि तमाम रिकार्ड में देश राज पुत्र भगत राम दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023–24 महाल अनुही, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति, परिवार नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम देस राज उर्फ देश राज पुत्र भगत राम किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 12–12–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
49 / RNTK	नाम दुरुस्ती	12–12–2025

नीरज गुलेरिया पुत्र बलदेव सिंह, निवासी महाल वलाह, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी नीरज गुलेरिया ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नीरज दर्ज है, जबकि तमाम रिकार्ड में नीरज गुलेरिया दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023–24 महाल वलाह, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति, परिवार नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम नीरज उर्फ नीरज गुलेरिया पुत्र वलदेव सिंह किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 12–12–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
52 / RNTK	नाम दुरुस्ती	12–12–2025

राजिन्दर कुमार पुत्र रेलू, निवासी महाल वडेड, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी राजिन्दर कुमार महाल वडेड ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल भलूं, मौजा सोलदा में जोगिन्दर कुमार पुत्र रेलू दर्ज है, जबकि सही नाम राजिन्दर कुमार पुत्र रेलू दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023–24 महाल अनुही, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति, परिवार नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम जागिन्दर कुमार उर्फ राजिन्दर कुमार पुत्र रेलू किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 12–12–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
54 / RNTK	नाम दुरुस्ती	12–12–2025

मुकेश पुत्र देश राज, निवासी महाल वलाह, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी देश राज महाल कोटला ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल वलाह व मौजा सोलधा में मुकेश कुमार पुत्र देश राज दर्ज है, जबकि सही नाम मुकेश पुत्र देश राज दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023–24 महाल वलाह, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति, परिवार नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मुकेश कुमार उर्फ मुकेश पुत्र देश राज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 12–12–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
53 / RNTK	नाम दुरुस्ती	12–12–2025

जर्म चन्द पुत्र तानी, निवासी महाल नढोली खास, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी जर्म चन्द महाल नढोली ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा नढोली खास में जर्म सिंह पुत्र तानी दर्ज है, जबकि सही नाम जर्म चन्द पुत्र तानी दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2020–21 महाल नढोली खास, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति, परिवार नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम जर्म सिंह उर्फ जर्म चन्द पुत्र तानी किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 12–12–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत प्रिंस धीमान, सहायक भू–सुधार अधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 05 / 2023 तारीख मजरूआ : 19–01–2023 तारीख पेशी : 20–12–2025

ओम प्रकाश विष्ट पुत्र स्वशीतल प्रसाद विष्ट, निवासी म0 नं0 101 / 7, अप्पर समखेतर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. गोकल चन्द पुत्र छवाडूं (हाल मृतक) के जायज वारसान :––

A. स्व0 श्री कुलदीप चन्द पुत्र स्व0 श्री गोकल चन्द, निवासी h/10, बंगला गली, भगवाहण मोहल्ला, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

i. श्री यशवन्त कपूर पुत्र स्व0 श्री कुलदीप चन्द, निवासी h/10, बंगला गली, भगवाहण मोहल्ला, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। मो0 नं0 94180 46485.

ii. श्रीमती नीलम पुत्री स्व0 श्री कुलदीप चन्द पुत्र स्व0 श्री गोकल चन्द,

iii. श्रीमती जै श्री पुत्री स्व0 श्री कुलदीप चन्द पुत्र स्व0 श्री गोकल चन्द,

B. स्व0 श्री सुन्दर लाल पुत्र स्व0 श्री गोकल चन्द, (हाल मृतक) के जायज वारसान :––

i. श्री भूषण कुमार पुत्र स्व0 श्री सुन्दर लाल, निवासी म0 नं0 128 / 8, दरम्याणा मोहल्ला, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। मो0नं0 94185 43650.

ii. श्री विवेक कपूर पुत्र स्व0 श्री सुन्दर लाल, निवासी म0 नं0 128 / 8, दरम्याणा मोहल्ला, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

iii. श्रीमती मोनिका कपूर पुत्री स्व0 श्री सुन्दर लाल

2. आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

दरख्वास्त बराये दुरुस्ती इन्द्राज अधीन धारा 34, 38, 42 हि0प्र0 काश्तकारी एवं भू–सुधार अधिनियम, 1972.

ओम प्रकाश विष्ट पुत्र स्वशीतल प्रसाद विष्ट, निवासी म0 नं0 101 / 7, अप्पर समखेतर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूं। राजस्व कागजात माल के सुहड़ा / 366 / 6 वर्ष 2016–17 के अनुसार खाता / खतौनी संख्या 116 / 160 में खसरा नं0 1136 में रकबा 23–20 वर्ग मीटर भूमि कागजात माल में दर्ज है लेकिन काश्तकार के खाने में गोकल चन्द पुत्र छवाडूं किरायेदार लगा हुआ है जिसमें अदालत के फैसले के अनुसार केस नं0 2114 दिनांक 19–09–2015 को हो चुका है लेकिन अभी तक नकल जमाबन्दी के काश्तकार के खाने में किरायेदार का नाम चला हुआ है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के अदालत के फैसले के अनुसार किरायेदार का नाम राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती हटवाने के लिए आदेश पारित करें।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के काश्तकार के खाने में लगे किरायेदार का नाम दुरुस्त किये जाने वारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 20–12–2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर / एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 28–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(प्रिंस धीमान),
भू–सुधार अधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती लुहारन पुत्री चैत्रू राम, गांव धमरेहर, डाकघर झंटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी ... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ... प्रत्यार्थी।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती लुहारन पुत्री चैत्रू राम गांव धमरेहर, डाकघर झंटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम लुहारन व जन्म दिनांक 31–12–1966 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिल्हबुधानी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 22–12–2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत सिल्हबुधानी को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम वाक्या महाल : भैरा केस नं0 90–P-2025

मंजिद्र कौर

बनाम

निर्मला कुमारी आदि

1. निर्मला कुमारी पुत्री परस राम, 2. सुशिल कुमार पुत्र रौशनी देवी, 3. अनिल कुमार पुत्र रौशनी देवी, 4. सुरजीत कुमार पुत्र रौशनी देवी, 5. पूनम पुत्री रौशनी देवी सभी निवासी गांव भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

विषय.––प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नंबर 06, खतौनी नंबर 34, 35, खसरा कित्ता 75, रकबा तादादी 11–66–91 है0 जमाबंदी वर्ष 2022–23, वाक्या महाल भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना–पत्र।

प्रार्थिया ने खेवट नंबर 06, खतौनी नंबर 34, 35, खसरा कित्ता 75, रकबा तादादी 11–66–91 है0, जमाबंदी वर्ष 2022–23 वाक्या महाल भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0 का दावा तकसीम हुक्मन दायर कर रखा हे, जिसमें कुछ प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे / हाजिर अदालत न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम में सुने जाने में मौके के सिधांत को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिवादीगणों को वजरिया राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09–01–2026 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर होकर अपने केस की पैरवी मुकद्दमा करे। गैर–हाजिरी की सूरत में आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज न होगा।

आज दिनांक 07–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई,
जिला ऊना (हि0प्र0)**

तकसीम केस नं0 : 21-P-2025 खेवट नं0 : 202 रकबा 0–07–02 है0 महाल ज्वाल

मुकद्दमा तकसीम : शीर्षक

श्री शशी पाल बनाम राजिन्द्र कुमार आदि।

शशी पाल पुत्र सालिग्राम पुत्र नारायण दास, गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाईं, जिला ऊना, हि0प्र0 ..... वादी।

बनाम

1. आशीष रतन पुत्र 2. पिंकी पुत्री 3. गुड्डू, 4. अंकित रत्न, 5. अशोक पुत्रान अयोध्या दास, 6. वेद पुत्र शंकरी देवी, 7. बिशन दत्त पुत्र बंसी लाल, 8. राम स्वरुप पुत्र महिन्द्रो, 9. चिंता राम पुत्र शकुन्तला देवी, 10. राजेश कुमार पुत्र शम्भू दत्त, 11. साहिल पुत्र शम्भू दत्त, 12. मनोहर लाल पुत्र शम्भू दत्त, 13. यशपाल पुत्र शम्भू दत्त, 14. मुनीश पुत्र शम्भू दत्त, 15. सुदेश विधवा रमेश कुमार, 16. अमित शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 17. पर्थ शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 18. अनु शर्मा पुत्र राजिंदर कुमार समस्त वासी गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..... प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त व्यक्तियों की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश निकालकर लिखा जाता है कि उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 16–01–2026 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने तकसीम केस की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई,
जिला ऊना (हि0प्र0)**

तकसीम केस नं0 : 80-P-2024 खेबट नं0 : 93 रकबा 0–04–54 है0 महाल धलवाडी

मुकद्दमा तकसीम : शीर्षक

श्री शशी पाल

बनाम

शम्भू दत्त आदि।

शशी पाल पुत्र सालिग्राम पुत्र नारायण दास, गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना, हि0प्र0 ..... वादी।

बनाम

1. आशीष रत्तन पुत्र 2. पिंकी पुत्री 3. गुड्डू, 4. अंकित रत्न, 5. अशोक पुत्रान अयोध्या दास, 6. वेद पुत्र शंकरी देवी, 7. बिशन दत्त पुत्र बंसी लाल, 8. राम स्वरुप पुत्र महिन्द्रो, 9. चिंता राम पुत्र शकुन्तला देवी, 10. राजेश कुमार पुत्र शम्भू दत्त, 11. साहिल पुत्र शम्भू दत्त, 12. मनोहर लाल पुत्र शम्भू दत्त, 13. यशपाल पुत्र शम्भू दत्त, 14. मुनीश पुत्र शम्भू दत्त, 15. सुदेश विधवा रमेश कुमार, 16. अमित शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 17. पर्थ शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 18. अनु शर्मा पुत्र राजिंदर कुमार समस्त वासी गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..... प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त व्यक्तियों की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश निकालकर लिखा जाता है कि उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 16–01–2026 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने तकसीम केस की पैरवी करे। हाजिर न होने की सूरत में आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई,
जिला ऊना (हि0प्र0)

तकसीम केस नं0 : 20-P-2025 खेबट नंम्बर : 130 रकबा 0–64–85 है0 महाल धलवाडी

मुकद्दमा तकसीम : शीर्षक

श्री शशी पाल

बनाम

रोहित शर्मा आदि।

शशी पाल पुत्र सालिग्राम पुत्र नारायण दास, गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना, हि0प्र0 ... वादी।

बनाम

1. आशीष रत्तन पुत्र 2. पिंकी पुत्री 3. गुड्डू, 4. अंकित रत्न, 5. अशोक पुत्रान अयोध्या दास, 6. वेद पुत्र शंकरी देवी, 7. बिशन दत्त पुत्र बंसी लाल, 8. राम स्वरुप पुत्र महिन्द्रो, 9. चिंता राम पुत्र शकुन्तला देवी, 10. राजेश कुमार पुत्र शम्भू दत्त, 11. साहिल पुत्र शम्भू दत्त, 12. मनोहर लाल पुत्र शम्भू दत्त, 13. यशपाल पुत्र शम्भू दत्त, 14. मुनीश पुत्र शम्भू दत्त, 15. सुदेश विधवा रमेश कुमार, 16. अमित शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 17. पर्थ शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 18. अनु शर्मा पुत्र राजिंदर कुमार समस्त वासी गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ... प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त व्यक्तियों की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश निकालकर लिखा जाता है कि उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 16–01–2026 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने तकसीम केस की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई,
जिला ऊना (हि0प्र0)

तकसीम केस नं0 : 81-P-2024 खेवट नंम्बर : 32 रकबा 0–02–86 है0 महाल धलवाडी

मुकद्दमा तकसीम : शीर्षक

श्री शशी पाल

बनाम

राजिंदर सिंह आदि।

शशी पाल पुत्र सालिग्राम पुत्र नारायण दास, गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना, हि0प्र0 ..... वादी।

बनाम

1. आशीष रत्तन पुत्र 2. पिंकी पुत्री 3. गुड्डू, 4. अंकित रत्न, 5. अशोक पुत्रान अयोध्या दास, 6. वेद पुत्र शंकरी देवी, 7. बिशन दत्त पुत्र बंसी लाल, 8. राम स्वरुप पुत्र महिन्द्रो, 9. चिंता राम पुत्र शकुन्तला देवी, 10. राजेश कुमार पुत्र शम्भू दत्त, 11. साहिल पुत्र शम्भू दत्त, 12. मनोहर लाल पुत्र शम्भू दत्त, 13. यशपाल पुत्र शम्भू दत्त, 14. मुनीश पुत्र शम्भू दत्त, 15. सुदेश विधवा रमेश कुमार, 16. अमित शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 17. पर्थ शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 18. अनु शर्मा पुत्र राजिंदर कुमार समस्त वासी गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..... प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त व्यक्तियों की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश निकालकर लिखा जाता है कि उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 16–01–2026 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने तकसीम केस की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)

तकसीम केस नं0 : 78-P-2024 खेबट नंम्बर : 94 रकबा 0–12–46 है0 महाल धलवाडी

मुकद्दमा तकसीम : शीर्षक

श्री शशी पाल

बनाम

शम्भू दत्त आदि।

शशी पाल पुत्र सालिग्राम पुत्र नारायण दास, गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना, हि0प्र0 ..... वादी।

बनाम

1. आशीष रतन पुत्र 2. पिंकी पुत्री 3. गुड्डू, 4. अंकित रत्न, 5. अशोक पुत्रान अयोध्या दास, 6. वेद पुत्र शंकरी देवी, 7. बिशन दत्त पुत्र बंसी लाल, 8. राम स्वरुप पुत्र महिन्द्रो, 9. चिंता राम पुत्र शकुन्तला देवी, 10. राजेश कुमार पुत्र शम्भू दत्त, 11. साहिल पुत्र शम्भू दत्त, 12. मनोहर लाल पुत्र शम्भू दत्त, 13. यशपाल पुत्र शम्भू दत्त, 14. मुनीश पुत्र शम्भू दत्त, 15. सुदेश विधवा रमेश कुमार, 16. अमित शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 17. पर्थ शर्मा पुत्र राजिन्द्र कुमार, 18. अनु शर्मा पुत्र राजिंदर कुमार समस्त वासी गांव धलवाडी, सब–तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..... प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त व्यक्तियों की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए इश्तहार मुश्त्री मुनादी बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश निकालकर लिखा जाता है कि उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 16–01–2026 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने तकसीम केस की पैरवी करे। हाजिर न होने की सूरत में आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भरवाई, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Ved Lata w/o Sh. Ramesh Chand Sharma, r/o P.O. Beolia, Tehsil Shimla, Dargoti, Shimla (H.P.)-171009 declare that I have changed my name from Lata Sharma to Ved Lata. All concerned please may note.

VED LATA
w/o Sh. Ramesh Chand Sharma,
r/o P.O. Beolia, Tehsil Shimla, Dargoti,
Shimla (H.P.)-171009.

———————

CORRECTION OF NAME

I, Ramesh Kumar s/o Sh. Dalpat, r/o Village Ruhali, P.O. Thunag, Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my son's name is wrongly entered as Munish Kumar in my son's Aadhar Card No. 8547 5708 5298 and my son's correct name is Manish Kumar. I want to change my son's name as Manish Kumar instead of Munish Kumar.

RAMESH KUMAR
s/o Sh. Dalpat,
r/o Village Ruhali, P.O. Thunag,
Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H.P.).

———————

CHANGE OF NAME

I, Pradeep Kumar s/o Sh. Narayan Dass, r/o Village & P.O. Chhausha, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Lakashyta to Lakshita. Please may note all concerned for further.

PRADEEP KUMAR
s/o Sh. Narayan Dass,
r/o Village & P.O. Chhausha,
Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Kumar s/o Sh. Roop Ram, r/o Village & P.O. Kabakalan (850), Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Ritka to Ritika Thakur. Please may note all concerned for further.

RAJESH KUMAR
s/o Sh. Roop Ram,
r/o Village & P.O. Kabakalan (850),
Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Banti Devi w/o Sh. Mehar Chand, r/o 66/1, Village Jarowa, Tehsil Arki, Man (439), Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Banti Devi to Banto Devi. Please may note all concerned for further.

BANTI DEVI
w/o Sh. Mehar Chand,
r/o 66/1, Village Jarowa,
Tehsil Arki, Man (439), Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prabha w/o Sh. Hardev Singh, r/o Karganoo-Sanora, P.O. Karganoo, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Arushai Thakur to Aarushi. Please may note all concerned for further.

PRABHA
w/o Sh. Hardev Singh,
r/o Karganoo-Sanora, P.O. Karganoo,
Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pardeep Singh s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Village Seu, P.O. Kharwar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Pradeep Singh. Whereas my correct name is Pardeep Singh. I shall be known as Pardeep Singh for all purposes in future. All concerned please note.

PARDEEP SINGH
s/o Sh. Kuldeep Singh,
r/o Village Seu, P.O. Kharwar,
Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prahlad s/o Late Sh. Dinesh Kumar, r/o Village Ramehar, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Pralhad to Prahlad for all purposes in further. All concerned please note.

PRAHLAD
s/o Late Sh. Dinesh Kumar,
r/o Village Ramehar, P.O. Bhawarna,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Babli Devi d/o Sh. Bhushan Kumar, r/o Village Fanyar, P.O. Shikawari, Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H.P.)-175035 do hereby solemnly affirm and declare that my name is wrongly entered as Begma Kumari in my Aadhar Card No. 7642 8488 4821 and my correct name is Babli Devi. I want to change my name in Aadhar Card as Babli Devi instead of Begma Kumari.

BABLI DEVI
d/o Sh. Bhushan Kumar,
r/o Village Fanyar, P.O. Shikawari,
Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H.P.)-175035.

CHANGE OF NAME

I, Chanchal Devi aged 69 years w/o Late Shri Gorkhu Ram, r/o Village Rasuh, P.O. Ranital, Tehsil Kangra, District Kangra (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my name from Chanchal Devi to Chanchala Devi. That necessary H.P. Gazette be published for change of my name. All note.

CHANCHAL DEVI
w/o Late Shri Gorkhu Ram,
r/o Village Rasuh, P.O. Ranital,
Tehsil Kangra, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jyoti w/o Late Sanjay Kumar, Ward No. 4, Nagar Panchayat Chowari, Tehsil Chowari, Distt. Chamba (H.P.) declare that my daughter's name Divyanka is wrongly entered in her academic & other public records, her correct name is Divyanka Thakur. Please note.

JYOTI
w/o Late Sanjay Kumar,
Ward No. 4, Nagar Panchayat Chowari,
Tehsil Chowari, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Randeep s/o Sh. Sunder Singh, r/o Village Darena, P.O. Shaya Chabron, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name was wrongly entered as Tejasvi Thakur. Whereas her correct name is Tejaswani, concerned please note.

RANDEEP
s/o Sh. Sunder Singh,
r/o Village Darena, P.O. Shaya Chabron,
Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jyoti d/o Gopi Chand, r/o Village Nabon (934), P.O. Pratha, Distt. Solan (H.P.)-173220 declare that I have changed my name from Jyoti to Kunta Devi. Please may note all concerned for further.

JYOTI
d/o Gopi Chand,
r/o Village Nabon (934),
P.O. Pratha, Distt. Solan (H.P.)-173220.

CORRECTION OF NAME

I, Manesh Kumar s/o Sher Chand, r/o Village Batanka, P.O. Chanju, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare that my son's name in his Aadhar Card is wrongly entered as Aayan Thakur whereas his correct name is Agastya Thakur. Concerned note.

MANESH KUMAR
s/o Sher Chand,
r/o Village Batanka, P.O. Chanju,
Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).

In the Court of Special Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

1. Shiv Karan Amarsingh s/o Sh. Yash Pal Amarsingh, r/o 3265 Staghorn Road Winston Salem, NC 27104 USA, A/P New Hope Orchards Banon Resort near Circuit House, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

2. Ms. Mehak d/o Lt. Vijay Miglani, H. No. 1021, Lohiya Nagar, Niranjanpur, Majra, Dehradun Uttrakhand.

Versus

General Public

Subject.—Notice under the Special Marriage Act.

Shiv Karan Amarsingh s/o Sh. Yash Pal Amarsingh, r/o 3265 Staghorn Road Winston Salem, NC 27104 USA, A/P New Hope Orchards Banon Resort near Circuit House, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Ms. Mehak d/o Lt. Vijay Miglani, H. No. 1021, Lohiya Nagar, Niranjanpur, Majra, Dehradun Uttrakhand have filed an application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 30-11-2025 and requested to registered the same under Special Marriage Act, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 8th December, 2025.

Sd/-

Seal. (RAMAN KUMAR SHARMA),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Special Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

1. Sh. Amar Jeet s/o Sh. Bir Singh, r/o Village & P.O. Keylong, Tehsil Lahaul, Distt. Lahaul & Spiti (H.P.).

2. Ms. Yog Maya d/o Sh. Chane Ram, r/o Village and P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Notice under the Special Marriage Act.

Sh. Amar Jeet s/o Sh. Bir Singh, r/o Village & P.O. Keylong, Tehsil Lahaul, Distt. Lahaul & Spiti (H.P.) and Ms. Yog Maya d/o Sh. Chane Ram, r/o Village and P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have filed an application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 21-11-2025 and requested to registered the same under Special Marriage Act, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 24th November, 2025.

Sd/-

Seal. (RAMAN KUMAR SHARMA),

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*

Manali, District Kullu (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।